

संसदीय समाचार

भाग - 2

सं. 61174-61175]

बृहस्पतिवार, 28 अक्टूबर, 2021

सं.61174

समिति समन्वय अनुभाग

विभाग-संबंधित जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2021-22) द्वारा
जांच के लिए विषयों का चयन

विभाग संबंधित जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2021-22) ने वर्ष 2021-22 के दौरान जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) से संबंधित निम्नलिखित विषयों का विस्तृत जांच और प्रतिवेदन देने के लिए चयन किया है:-

(क) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

(i)	नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना लक्ष्यों और समय-सीमा तथा राज्य सरकारों के कार्य निष्पादन के विशेष संदर्भ में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का संरक्षण, विकास, प्रबंधन तथा उनमें प्रदूषण में कमी लाना;
(ii)	भूमिगत जल : एक बहुमूल्य परंतु कम होता संसाधन;
(iii)	दिल्ली तक अपर यमुना नदी की सफाई परियोजना और दिल्ली में नदी ताल के प्रबंधन की समीक्षा;

(iv)	उत्तर-पूर्व जल प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकरण की समीक्षा-अधिदेश, कार्य योजना और प्राधिकरण के अंतर्गत परियोजना कार्यों की समीक्षा;
(v)	कावेरी नदी और दक्षिण भारत की अन्य प्रमुख नदियों का संरक्षण तथा उनमें प्रदूषण में कमी लाना;
(vi)	'वाफ्कोस' लिमिटेड की भूमिका और कार्यप्रणाली की समीक्षा
(vii)	देश में हिमनद प्रबंधन - हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने से बाढ़ का कारण बनने वाली हिमनद झील के फटने सहित हिमनदों/ हिमनद झीलों की निगरानी।
(viii)	बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों के विशेष संदर्भ में देश में बाढ़ प्रबंधन
(ix)	भारत में जल उपयोग दक्षता

(ख) पेयजल और स्वच्छता विभाग

(x)	'स्वच्छ भारत मिशन के कार्य निष्पादन की समीक्षा - स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सृजित स्वच्छता अवसंरचना की गुणवत्ता और संधारणीयता तथा ओडीएफ 2.0 हेतु तैयारी';
(xi)	'जल जीवन मिशन' के कार्य निष्पादन की समीक्षा;
(xii)	पर्वतीय क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता।
(xiii)	तटीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति - विलवणीकरण संयंत्रों की स्थापना।

**विभाग संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी
समिति द्वारा विषयों का चयन**

विभाग संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा जांच हेतु निम्नलिखित विषयों का चयन किया गया है:-

I. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

- i. टीका विकास, वितरण प्रबंधन और कोविड 19- महामारी का शमन
- ii. आयुष्मान भारत का कार्यान्वयन;
- iii. समकालीन समय में मानसिक स्वास्थ्य;
- iv. चिकित्सा उपकरण: विनियमन और नियंत्रण;
- v. कैंसर के उपचार की वहनीयता;

II. आयुष मंत्रालय

- (vi) आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली: चुनौतियां और संभावनाएं; और
- (vii) राष्ट्रीय आयुष मिशन की समीक्षा

पी. पी. के. रामाचार्युलु,
महासचिव।